

**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक— 1042 / FP/UK/ROAD/9786/2015 :देहरादून:दिनांक: 15 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद—चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.449 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार की पत्र संख्या—8बी/यू०सी०पी०/०६/२१७/२०१६/एफ०सी०/९४५ दिनांक ०७-०९-२०१७

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.898 हे० ग्राम—नौली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 7,34,156.00 ऑनलाईन तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 774/12-1 दिनांक 28-08-2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में चयनित विभिन्न ग्रामों में सिविल भूमि राजस्व विभाग द्वारा दी गयी थी, जिसके नामान्तरण में दिक्कतें आ रही थी। उनके द्वारा वर्तमान में ग्राम नौली के अन्तर्गत 2.898 हे० सिविल भूमि उपलब्ध होने पर नौली सिविल भूमि का नामान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। उक्त संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का डिजिटल/जियो रेफिरेन्स मानचित्र एवं उपयुक्तता प्रमाण—पत्र तथा म्यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 9,51,993.00 ऑनलाईन तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन जमा की गयी कुल धनराशि रू० 16,86,149.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित डिजिटल एवं जियोरेफिरेन्स मानचित्र की प्रति संलग्नक-1 के अनुसार है।
7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित ग्राम पंचायत धारकोट, ऐरवाड़ी, घण्डियाल का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)
8. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित ग्राम बनियास, ग्राम खण्डूडा तथा ग्राम घण्डियाल के ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण—पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-6)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/9786/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक